# विकास विकल्प पत्रिका

निजी प्रसार हेतु

पैक्स समाचार अंक 5 क्रमांक 4 मई 2004

# कल नहीं था, होगा आज
# पंचायत पर अपना राज

संपादकीय

*इस अंक में*


■ संपादकीय
– महिलाओं की बढ़ती भागीदारी – स्थानीय स्वशासन की बेहतरी

■ प्रमुख लेख
– सशक्त ग्राम सभायें सिद्ध करेंगी कार्यक्रम की सार्थकता

■ कविता
– दुनिया समझ रही है कि जनता का राज है।

■ अंचल से
– पंचायत प्रमुख के पद को चुनौती
– महिलाओं द्वारा एकजुटता से अधिकरों की मांग
– महिलाओं ने बनाई गांव तक सड़क
– बंधुआ मजदूरी की समस्या पर आरंभ की पहल

■ समाचार
– महिला राजनैतिक सशक्तिकरण दिवस समारोह
कानून के नज़रिए से
– संरक्षण का अधिकार – जननी क्यों दरकिनार?

■ विकास के विकल्प
– सी.डी.एम. अनुकूलन कार्यशाला : एक रपट
– पुस्तक समीक्षा
– सुर्खियों में



इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में प्रस्तुत विचार लेखकों के हैं और यह ज़रूरी नहीं है कि विकास विकल्प उनसे सहमत हो। स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादकः डॉ0 अशोक खोसला द्वारा डेवलेपमेंट ऑल्टरनेटिव्स के लिए।
वरिष्ठ संपादकः किरण शर्मा
संपादकीय बोर्डः राजीव गुप्ता, पूजा शर्मा
सलाहकार संपादकः भरत डोगरा, प्रतिमा मैथ्यूस
बी–32, तारा क्रीसेन्ट, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज़–1, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा ऐक्सेलेन्ट प्रिंटिग हाउस, डी–84/3, ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया फेस–1, नई दिल्ली.20 से मुद्रित।
टेलीफोन : 91+11+26851158, 26967938
फैक्स : 91+11+26866031
ईमेल : pacsindia@sdalt.ernet.in
tara@sdalt.ernet.in
वेबसाइट : http://www.empowerpoor.org
http://www.devalt.org


## संपादक की कलम से.......

### महिलाओं की बढ़ती भागीदारी – स्थानीय स्वशासन की बेहतरी

इस समय हमारा देश सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुज़र रहा है। जब तक यह पत्रिका आपको मिलेगी तब तक शायद आम चुनावों के परिणाम भी सामने होंगे। परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण है यह पूरी प्रक्रिया, जहां एक आम व्यक्ति सरकार चुनने का अपना अधिकार इस्तेमाल करता है।

भारत में लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है पंचायत स्तरीय स्वशासन। सन् 1992 में पारित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने महिलाओं को पंचायतों और नगरपालिकाओं में आरक्षण देकर इसमें एक और सार्थक पहलू जोड़ दिया। इससे महिलाओं को ना केवल राजनैतिक कार्यक्षेत्र में कदम रखने का अवसर मिला बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी स्थान मिला। शुरू में इस आरक्षण पर काफी संदेह व्यक्त किया गया। कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आईं जहां आरक्षित सीटों पर प्रतिपक्षी उम्मीदवारों को खड़ा किया गया, चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को उनके पतियों ने कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया और कुछ स्थानों में इन महिलाओं को अपने पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया गया।

लेकिन समय के साथ स्थिति में काफी बदलाव आया है। पिछले कुछ वर्षों के अनुभवों ने महिला पंचों और सरपंचों की एक भिन्न तस्वीर प्रस्तुत की है। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से गांव के विकास कार्यों में भी गतिशीलता मिली है। यह सब ग्रामीण महिलाओं के स्वयं अपने दृढ़ निश्चय और नागरिक समाज संगठनों द्वारा प्रदत्त समर्थन द्वारा संभव हो सका है। पैक्स कार्यक्रम के कई साझेदारों ने भी इस मुद्दे को एक अहम प्राथमिकता बनाया है। यह अंक बदलाव की प्रक्रिया में महिलाओं की सार्थक भूमिका के कई विवरण प्रस्तुत करता है, जैसे, म.प्र. के हसनाबाद पंचायत में महिलाओं की पहलकदमी से गांव में सड़क की समस्या का निवारण, झारखंड के खूंटी ब्लॉक में महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों की मांग।

गांवों में पंचायतों की कार्यप्रणाली से जुड़ी जानकारी का प्रसार अति आवश्यक है। ग्राम सभा के ज़रिए मिलने वाले अधिकारों की जागरुकता से ही ग्रामवासी उसमें हिस्सा लेने को अभिप्रेरित होंगे। सही जानकारी ना केवल उनकी भागीदारी को सार्थक बनाएगी बल्कि उन्हें भ्रष्ट पदाधिकारियों को चुनौती देने के लिए भी तैयार करेगी। इस अंक में दी गई बिहार के नगरनौसा प्रखण्ड के रामपुर पंचायत समिति की घटना इस बात का सबूत है।

पंचायतों में केवल भागीदारी सुनिश्चित करना ही यथेष्ट नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भागीदारी में विभिन्न जातियों और वर्गों के लोगों का समावेश हो। यदि केवल कुछ अधिकार प्राप्त लोग ही इसे चलाते रहे तो पूरा प्रयोजन ही विफल हो जाएगा। कुछ अन्य क्षेत्रों की तरह मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में बंधुआ मज़दूर प्रथा अभी भी प्रचलित है। वहां के बारे में प्रस्तुत जानकारी से पता चलता है कि किस तरह हाशिए पर धकेले गए लोगों की स्थानीय स्वशासन में कोई हिस्सेदारी ही नहीं हैं। उ.प्र. के एक पंचायत प्रेरक ने अपनी कविता में कड़वी वास्तविकता की टीस को बखूबी पेश किया है।

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व ऐसे पहलू हैं जिन्हें दोनों दिशाओं में लागू किया जाना चाहिए – पंचायतों के ज़रिए प्रशासन से पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की मांग तथा स्वयं पंचायतों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की चुनौती। शोध अध्ययनों के ठोस परिणामों से यह पता चलता है कि महिलाओं के नेतृत्व वाली पंचायतें अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी और ज़िम्मेदार हैं। वे महिलाओं और बच्चों की ज़रूरतों, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। यह बहुत ही प्रोत्साहक और सकारात्मक संकेत है।

पैक्स कार्यक्रम की 'पीयर रिव्यू' कार्यशालाओं में चिन्हित मुद्दों पर की जाने वाली पैरवी में स्थानीय स्वशासन की बेहतरी और उसमें महिलाओं की उन्नत भागीदारी द्वारा उनके सशक्तिकरण को विशिष्ट स्थान दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सशक्त ग्राम सभाएं ही हमारे कार्यक्रम की सार्थकता और सफलता निर्धारित करेंगी।

किरण शर्मा


"This document is an output from a project funded by the Department for International Development, UK for the benefit of developing countries. The views expressed are not necessarily those of Department for International Development, United Kingdom"

# सशक्त ग्राम सभायें सिद्ध करेंगी कार्यक्रम की सार्थकता

26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज लागू हुआ। ग्राम स्वराज यानी आत्मनिर्भर गांव जहां गांव में होने वाले कामों का फैसला गांव के सभी मतदाता मिलकर करें। उन फैसलों को लागू भी वे ही मिलकर करें और पूरा हिसाब–किताब सामने रखकर मंजूर कराएं ताकि इससे लोगों की ताकत बढ़े। इसीलिये ग्राम सभा को ज़िम्मेदारियों के साथ अधिकार भी दिये गये हैं। लेकिन चिन्ता की बात यह है कि बैठकों के ठीक तरह से न चलने के कारण इन अधिकारों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी ग्राम सभा की बैठको को ठीक ढंग से चलाना।

आज ज़रूरत इस बात की है कि ग्राम सभाओं को सरकारी या कानूनी ग्राम सभा से आगे बढ़ाकर लोगों की ग्राम सभा कैसे बनाया जाये, जहां पर केवल योजनाओं, कार्यक्रमों की ही बात नहीं हो बल्कि लोग अपने सुख–दुख, आमदनी, खर्च और ज़रूरतों की बात भी करें। ठीक वैसे ही जैसे हम घर–परिवार में अपने लोगों के साथ आपसी बातें करते हैं।

ग्राम सभाओं के बनने से गांवों के लोगों की बहुत सी उम्मीदें बढ़ गई हैं। सबको लग रहा है कि अब बदलाव आएगा। और उम्मीद करना ठीक भी है। अब आपकी ग्राम सभा में आपकी मर्ज़ी से ही काम होंगे। अब तो सब को मिलजुल कर अपनी ग्राम सभा की बैठकों को ठीक ढंग से चलाना चाहिये। जितने अच्छे ढंग से बैठकें होंगी उतने ही अच्छे निर्णय होंगे। लेकिन बैठकों को अच्छे ढंग से चलाने के लिये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे मिलना जुलना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा। जो नाराज हैं उन्हें मनाना पड़ेगा, सभी लोगों को काम बांटकर ज़िम्मेदारी, लगन और मेहनत से प्रयास करने पड़ेंगे। यह सब बहुत कठिन काम भी नहीं है। हम सब लोग अपने घरों के बड़े–बड़े काम भी तो मिलजुल कर ही करते हैं। हमारा पूरा भरोसा है कि मजबूत ग्राम सभाओं की बैठकें गांव की इज्ज़त, गांव का सम्मान और गांव की ताकत को बढ़ाने में मददगार होंगी।

## कैसे बने ग्राम सभायें सशक्त, स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर

ग्राम सभाओं को सशक्त, स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने के लिये हमें अनवरत कोशिशें करनी होंगी। हमें उन प्रयासों को भी पहचानना पड़ेगा जिनसे परिवर्तन सम्भव है। अभी तक किये गये कामों के आधार पर कुछ मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हो सकते हैं जिन पर चलने से ग्राम सभाओं की तस्वीर बदली जा सकती है। ये बिन्दु हैं :–

### ■ ग्राम सभा सदस्यों की तैयारी

मध्य प्रदेश में सीहोर से 50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है ग्राम पंचायत छतरी। यहां कुल 700 मतदाता हैं, जिसमें 140 का कोरम है। हर महीने 26 तारीख को ग्राम सभा की बैठक होती है। ग्राम सभा में दो ही रजिस्टर हैं – एक कार्यवाही रजिस्टर और दूसरा एजेण्डा रजिस्टर। ग्राम सभा की तारीख के 7 दिन पहले एजेण्डा रजिस्टर की बजाय कार्यवाही रजिस्टर घुमाया गया एवं उस पर गांव के कुछ लोगों के हस्ताक्षर करवा लिये गए ताकि 'कोरम' पूरा हो जाये। परन्तु अन्य गांव वालों की तरह कालूराम ने उस रजिस्टर पर चुपचाप हस्ताक्षर नहीं किए। उसने कहा, ''यह तो कार्यवाही रजिस्टर है, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। ग्राम सभा की बैठक के दौरान ही मैं इस रजिस्टर पर हस्ताक्षर करूंगा। अगर हम सबने इस पर

हस्ताक्षर कर दिए तो लिखित में कोरम पूरा हो जाएगा और आप कार्यवाही रजिस्टर पर कोरम पूर्ण करके कुछ भी काम कर सकते हो।'' यह बात गांव में हवा की तरह फैल गई और ग्राम सभा में बड़ी बहस हुई कि ऐसा क्यों किया गया। बहस में केदार सिंह, कालूराम, भगवान सिंह, प्रीतम, कैलास दास, नरबद सिंह, पदमसिंह व शिवप्रसाद पंच ने भाग लिया। सबने निर्णय लिया कि अब हमारे सामने जिस विषय पर चर्चा होगी एवं बहस के बाद जो भी फैसला लिया जायेगा, उसे पढ़कर व देखकर ही हम दस्तखत करेंगे। तब से ग्राम छतरी में एजेण्डा रजिस्टर सात दिन पहले घुमाया जाता है। ग्राम सभा की सूचना दी जाती है एवं रजिस्टर पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि ग्राम सभा में किस विषय पर चर्चा होगी। अब गांव के लोग सोच विचार कर ही एजेण्डा रजिस्टर एवं कार्यवाही रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते हैं। वे अपने दस्तखत का मूल्य समझ गए हैं।

ग्राम सभा की सफलता के लिए सदस्यों को जागरूक बनाना और उन्हें उचित रीति से तैयार करना अति आवश्यक है।

## समितियों की तैयारी

ज़िला मुख्यालय सीहोर से 8 किमी. दूर स्थित मानपुरा ग्राम पंचायत रोला के अन्तर्गत आता है। जन सहयोग की भावना से कार्य कर रहे ग्राम मानपुरा में सभी जाति समुदाय के लोगों के साथ यह महसूस किया कि गांव का स्कूल भवन बहुत छोटा है जिसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल पा रही है। इससे बच्चों की, खासकर बालिकाओं की, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अतः, यहां ग्रामवासियों ने स्वयं अपने द्वारा आयोजित ग्राम सभा में निर्णय लिया कि जब तक गांव में स्कूल की इमारत नहीं बन जाती तब तक वहां निर्माणाधीन राम मंदिर भवन का स्कूल भवन के रूप में उपयोग किया जाये। इस निर्णय पर सभी लोगों ने सहमति जताई और यह फैसला किया कि जब तक गांव में मिडिल स्कूल का भवन नहीं बन जाता तब तक मंदिर में भगवान राम की मूर्ति नहीं बिराजेंगे। इस प्रकार एक नयी व्यवस्था बनाने में ग्राम स्वराज समिति के रूप में गठित शिक्षा समिति के सदस्यों ने अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुये एक अच्छी पहल की है।

यदि समितियां जागरूक और तैयार होंगी तो वे गांव की परेशानियों के लिए अपने आप ही संवेदनशील बन जाएंगी और समस्याओं के सर्वसम्मत हल ढूँढ़ना कोई कठिन काम नहीं रहेगा।

## सूचना देने के तरीकों में बदलाव

इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि वे ग्राम सभा की बैठकों के बारे में भूल जाते हैं। जब तक बैठकों में जाना उन्हें अपने खुद के काम के बराबर ज़रूरी नहीं लगने लगेगा तब तक लोग भूलते रहेंगे। और जब तक भूलेंगे तब तक याद दिलाना पड़ेगा। अगर सब लोग यही सोच लेंगे कि यह हमारा काम नहीं है तो बात नहीं बनेगी। कुछ लोगों को तो ज़िम्मेदारी लेकर आगे आना ही पड़ेगा। तभी अन्य लोग भी आगे बढ़ेंगे।

## लोगों को इकट्ठा करने के प्रयास

यह कहानी एक मजदूर किसान राम सिंह की है जो ग्राम सभा जाने में विश्वास नहीं रखता था। एक दिन जब वह गांव के स्कूल के पास अपनी समस्या लोगों को बता रहा था, तभी गांव की कार्यकर्ता वहां पहुंच गई और उन्होंने रामसिंह से पूछा कि आपने यह बात कभी ग्राम सभा में क्यों नहीं कही? वह कहने लगे कि ग्राम सभा में कोई नहीं सुनता। कार्यकर्ता ने उनसे पूछा कि क्या वे पहले कभी ग्राम सभा में गये थे? उसने कहा, 'नहीं'। इस पर उन्हें ग्राम सभा में आने के लिये प्रेरित करते हुए कार्यकर्ता ने समझाया कि जिस तरह बीमारी में डॉक्टर हमारे घर बिना बुलाये नहीं आता है और अगर हम एक बार की दवा में ठीक नहीं हुए तो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक उसी तरह अगर

ग्राम सभा में पहली बार में हमारी समस्या नहीं सुनी गई तो दोबारा जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। दूसरे दिन ग्राम सभा थी। रामसिंह जी ग्राम सभा में गये और अपनी समस्या को रखा। कीचड़ की समस्या ठीक करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से श्रमदान का प्रस्ताव भी रखा। उनकी बात सुनी गयी और उस पर विचार किया गया। उनकी कीचड़ की समस्या ठीक हो गई। अब वे ग्राम सभा में जाने लगे हैं और उसमें सहभागिता भी करते हैं। ग्राम सभा में उनका विश्वास बढ़ गया है।

## ■ गरीब, वंचित और कमजोर तबके को मुख्यधारा से जोड़ना

अक्सर देखा जाता है कि ग्राम पंचायत धनी और पहुंच वाले व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है। गरीब, वंचित और कमज़ोर तबके के लोग अपने आप को हाशिए पर पाते हैं। उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना अति आवश्यक है। ग्राम पंचायत गवा की एक घटना इसका उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है। गवा में ग्राम सभा की एक बैठक में सरपंच एवं ग्राम के अन्य पंचायत प्रतिनिधियों एवं समुदाय के लोगों के साथ अनुसूचित जाति (बसोड़ जाति) की एक महिला भी उपस्थित थी। उन्होंने ग्राम सभा के सामने निवेदन करके कहा कि मेरा इंसाफ करें। गांव वाले मुझे पानी नहीं भरने देते हैं। सरपंच व अन्य प्रतिनिधियों ने उसके मोहल्ले में उसके घर के सामने हैण्डपम्प लगवाने का निर्णय लिया। यह भी फैसला किया गया कि जब तक नया हैण्डपम्प नहीं लगता तब तक वह महिला उसी हैण्डपम्प से पानी भरेगी और उसका घड़ा सबसे पहले भरने दिया जायेगा। ग्राम सभा में उपस्थित सभी लोग इस बात पर राज़ी हो गये। कमज़ोर वर्ग की उस महिला को सम्मान और न्याय दोनों मिल गये।

## ■ निर्णय लेने के तरीकों में परिवर्तन

निर्णय लेने के तरीकों से समस्या का हल ढूँढ़ने पर बहुत असर पड़ता है। यह उदाहरण इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ग्राम मूंझखेड़ा में ग्राम स्वराज के प्रतिनिधियों और ग्रामवासियों ने ग्राम सभा में बैठकर यह निर्णय लिया कि गांव का आधा किलोमीटर रास्ता कच्चा है और बरसात के दिनों में अत्यधिक परेशानी होती है। सड़क के निर्माण की अनुमानित लागत थी 40,000 रुपये। फैसला किया गया कि सबके सहयोग से यह काम किया जाएगा। गांव के प्रत्येक घर से दो–दो आदमियों और गांव के सभी सात ट्रेक्टरों ने पांच दिनों तक कार्य किया।

गांव के लोगों ने यह भी निर्णय लिया कि जो सड़क निर्माण के कार्य में सहयोग नहीं करेगा उससे 500 रु. जुर्माने के बतौर लिया जायेगा। अतः, नन्नु सिंह पिता दौलानी के परिवार से कोई भी व्यक्ति श्रमदान करने नहीं आया तो ग्राम सभा ने उस परिवार से 500 रु. जुर्माना लिया। इस तरह मूंजखेड़ा में जनभागीदारी से कार्य पूर्ण कराया गया।

## ■ महिलाओं को ग्राम सभा तक ले जाना

ग्राम सभा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के आश्चर्यजनक परिणाम हो सकते हैं। नीचे दिया गया उदाहरण अकेला नहीं है, ऐसे अनेक मामले देखे जा सकते हैं। ग्राम खामलिया में बनाये गये तीन महिला समूहों की महिलाओं ने ग्राम स्वराज प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिये अपने प्रयास शुरू कर दिये हैं। इसी दिशा में उन्होंने पहला कदम उठाया जब तीनों समूहों की 33 महिलायें ग्राम सभा में गयीं और अपने साथ गांव की तीस अन्य महिलाओं को भी साथ में ले गयी। इतनी संख्या में पहली बार महिलाएं ग्राम सभा में पहुंचीं। महिलाओं ने ग्राम सभा में अपनी बातें रखी। उन्होंने गांव में गलियों में होने वाले कीचड़ को खत्म करने के लिये नाली बनाने का प्रस्ताव रखा जो पास भी हुआ और उसके खर्च व लागत की बात भी की गई। लेकिन अधिक पैसे खर्च होने की वजह से यह कार्य नहीं हो सका। नाली का काम नहीं हो पाने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ग्राम सभा में उनकी बात को सम्मान से सुने जाने, उस पर योजना बनाने से उनका मनोबल बढ़ा। इसी आत्मविश्वास ने उन्हें प्रेरित किया। उन लोगों ने हैण्डपम्प के पास कीचड़ की समस्या को देखकर उस मुद्दे पर कार्य करना तय किया। उसे लेकर वे एक बार फिर ग्राम सभा में बैठीं और उन्होंने ही इस समस्या से निपटने के लिये अपने सुझाव रखे। तय हुआ कि हैण्डपंपों के आस–पास बड़े चबूतरे

बनाये जायें और चबूतरों से नाली बनाकर उसे पानी की टंकी के साथ जोड़ें ताकि जानवर उसका पानी पी सकें। बचा हुआ पानी बेकार न जाये, कीचड़ ना हो, और ज़मीन का जल स्तर बढ़ सके, इसलिये टंकी के आगे सोख्ता गढ्ढा बनवाना तय हुआ। इसी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके द्वारा योजना बनाने पर जब पैसे कम पड़ते दिखे तो उन्होंने ग्राम डोंडी से टेक्टर में रेत भरकर लाने का निर्णय किया। पंचायत,

समुदाय और स्वयं उनके सहयोग के बाद भी 2500 रुपये की कमी पड़ने पर उन्होंने *'समर्थन'* नामक स्वयं सेवी संस्था के साथ बातचीत की। लेकिन बातचीत होने एवं आर्थिक सहायता मिलने में भी देर हो सकती थी इस वजह से उन्होंने अपने तीनों समूहों की एक संयुक्त बैठक बुलाकर उसमें जमा किया गया पैसा देने का निर्णय लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि जब हमें पैसा मिल जायेगा तब हम समूह के खर्च किये गये पैसे को समूह को वापस कर देंगे। महिलायें पूरे उत्साह के साथ ग्राम सभा की प्रक्रियाओं में जुटी हैं।

## ■ ठोस और सही प्रस्ताव बनवाना

सीहोर ज़िला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर एक गांव है कुलासखुर्द। कुलासखुर्द में विगत दिनों एक छोटी सी घटना ने ग्राम सभा की जागरूकता का अनोखा उदाहरण सामने रखा। इस गांव में बाल पर्यावरण स्वच्छता एवं जलापूर्ति कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में सामुदायिक योगदान के साथ–साथ यूनीसेफ द्वारा सहायता राशि भी दी जा रही थी। कुलासखुर्द में 3000 रुपये के सामुदायिक योगदान द्वारा शौचालय निर्माण का काम भी चल रहा था। जब बाल पर्यावरण स्वच्छता समिति ने ग्राम सभा में खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत किया तो ग्राम सभा ने इसे सर्वसम्मति से पास करते हुये स्वच्छ कुआं एवं हैण्डपम्प के सोख्ता गड्ढा निर्माण हेतु अनुमति प्रदान की और समिति द्वारा सामुदायिक योगदान एकत्र करने के लिये रसीद का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा। ठोस प्रस्ताव और उसमें रसीद के उपयोग की बात होते ही बहुत जल्द सामुदायिक योगदान के रूप में आठ हज़ार रुपये इकट्ठे हो गये। एक छोटी सी पावती रसीद ने गांव में समिति के काम को सही और भरोसे का साबित कर दिया।

## हमारी भूमिका और जिम्मेदारी – क्या करें? कैसे करें?

ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने का काम उतना आसान नहीं है जितना बाहर से दिखाई पड़ता है। ग्राम सभा के सशक्तिकरण में बहुत सारी चुनौतियां और कठिनाईयां हैं। सूचनाओं और जानकारियों की कमी एक बड़ी समस्या है। दलीय व्यवस्था की वजह से राजनैतिक दूरियां पहले से ज्यादा बढ़ गयी हैं। अब पड़ोसी को भी पता है कि उसके आजू–बाजू वाले किस पार्टी और दल के साथ जुड़े हुये हैं। जातिगत संबन्धों के अपने विरोधाभास हैं। कोई भी अपनी जिम्मेदारी उठाने और भूमिका निभाने को तैयार नहीं है। न तो ग्राम सभा के सदस्य सवाल खड़ा कर रहे हैं और न प्रतिनिधि उनके प्रति जवाबदेह बन पा रहे हैं। न तो प्रतिनिधि सक्रिय हैं और न समितियां ठीक से काम कर रही हैं।

इन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी हमें इस तथ्य से ताकत मिलती है कि जहां कहीं भी लोगों ने ग्राम सभाओं के साथ सकारात्मक ढंग और ईमानदारी से काम किया है और ग्राम सभा सदस्यों ने भी उनके साथ सहयोग किया है वहां पर ग्राम सभाओं के स्वरूप में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। ये बात और है कि ऐसे उदाहरण कम हैं लेकिन इनसे भी हमें यह समझ में आता है कि अगर ठीक ढंग से सही दिशा में प्रयास किया जाये और ग्राम सभाओं के विभिन्न हितभागियों का सहयोग मिले तो असंभव को भी संभव करके दिखाया जा सकता है।

अमित खरे
समर्थन, भोपाल

# दुनिया समझ रही है कि जनता का राज है।

स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। उत्तर प्रदेश में इसे लागू हुए पांच वर्षों से भी अधिक समय हो चुका है। एक ओर तो इस व्यवस्था ने लोगों में काफी उत्साह का संचार किया और ग्राम स्तरीय पंचायत से उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ाईं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इतना समय बीतने के बावजूद भी अधिकतर इलाकों में पंचायतें अपेक्षित तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। इसके कई ज्ञात अज्ञात कारण हैं तथा अपनी समस्याएं हैं। पैक्स साझेदार संगठन 'मार्गश्री' में कार्यरत श्री अशोक कुमार पाण्डेय ने एक कविता के रूप में इस कसक को अभिव्यक्त किया है।

## ,d dld

प्रदेश का गरीब कल भी दुखी था, आज भी है,
दुनिया समझ रही है कि जनता का राज है।
सरकारी योजनाओं को प्रधान खा रहे हैं,
लाभ उनके रिश्तेदार परिचित उठा रहे हैं,
कुछ मतलबियों के सिर पे ग्रामों का ताज है,
दुनिया समझ रही है कि जनता का राज है।
गरीबों की सूची में अमीरों के नाम हैं,
असली गरीब सूची से गायब तमाम हैं,
राशन का जमींदार को मिलता अनाज है,
दुनिया समझ रही है कि जनता का राज है।

अपने घरों के पास से खडंजा बना रहे हैं,
नाली का निर्माण भी निकट से करा रहे हैं,
बदमाशों व दलालों के डर से दबी आवाज है,
दुनिया समझ रही है कि जनता का राज है।
राशि सब विकास की वो खाए जा रहे हैं,
नलकूप, हैंडपंप अपने घरों में लगवा रहे हैं,
हर कदम पर यहां कमीशन का रिवाज है,
दुनिया समझ रही है कि जनता का राज है।

*('मार्गश्री' के न्यूजलेटर से साभार उद्धरत)*

# पंचायत प्रमुख के पद को चुनौती

ग्रामीण एवं नगर विकास परिषद, पटना, के तत्वाधान में पैक्स प्रोग्राम के अन्तर्गत गांव के मुखिया तथा पंचायत समिति एवं वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को 73वें संविधान संशोधन एवं बिहार पंचायती राज एक्ट 1993 के तहत सदस्यों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों, विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं के प्रति सहयोग एवं समन्वय, प्राथमिकता के आधार पर ग्राम विकास योजना के निर्माण, ग्रामसभा के महत्व एवं भूमिका, पंचायती राज के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं कानूनी पहलुओं इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। इससे सदस्यों के बीच इन मुद्दों के बारे में एक सही समझ विकसित हुई। अब वे पंचायती राज की सही अवधारणा लागू करने, विभिन्न समस्याओं और उनके कानूनी पहलुओं का सही तरीके एवं न्यायपूर्ण ढंग से निराकरण करने के लिए बेहतर रूप से तैयार हैं। इस प्रशिक्षण के फलस्वरूप वास्तव में पंचायत प्रतिनिधियों की सोच में बदलाव आया है तथा उनके आत्म विश्वास का स्तर भी बढ़ा है।

प्रशिक्षण में मिली नई जानकारी से युक्त और अपने नए परिप्रेक्ष्य से प्रेरित होकर नगरनौसा प्रखण्ड के रामपुर पंचायत समिति के रवीन्द्रनाथ शर्मा ने अपनी पंचायत प्रमुख के पद की वैद्यता को चुनौती देते हुए निर्वाचन आयोग में एक वार्ड (संख्या 07/04) दर्ज करवाया। यह अपने आप में एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम था।

उन्होंने प्रमुख के पद की वैधता को चुनौती देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा था कि एक सरकारी अभियोजक किस अधिनियम के तहत प्रमुख के पद पर विराजमान है। यह सर्वविदित है कि विधि–विभाग बिहार सरकार के आदेशानुसार अगस्त 2000 में जनकधारी प्रसाद की नियुक्ति हिलसा के अनुमंडलीय न्यायालय में सहायक सरकारी वकील के रूप में हुई थी। इसके बाद उन्होंने 2001 में हुए पंचायत चुनाव में पंचायत समिति के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा और बाद में प्रमुख बन गए।

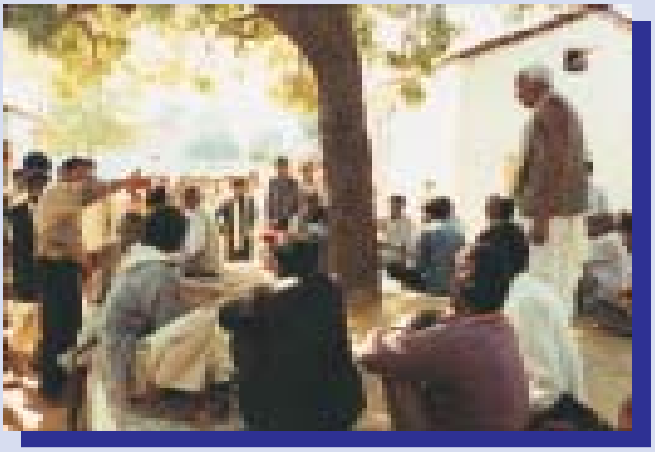

आयोग ने इस संबंध में प्रखण्ड प्रमुख से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा। आयोग ने इस संबंध में नालंदा के जिलाधिकारी से भी जांच प्रतिवेदन देने को कहा। जांच प्रतिवेदन में भी इस बात की पुष्टि की गई। 29 मार्च को सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त डी. पी. महेश्वरी ने बिहार पंचायत अधिनियम 1995 के धारा 139 (2) तथा पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 139 (1) (ग) के तहत नगरनौसा प्रखण्ड के प्रमुख जनकधारी प्रसाद की सदस्यता को अयोग्य करार देते हुए अपने फैसले में कहा कि सरकारी लाभ प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति पंचायत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अब प्रखण्ड प्रमुख जनकधारी प्रसाद इस फैसले के विरुद्ध न्यायालय में अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं।

निर्वाचन आयोग के इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है। इससे पंचायती राज के अपेक्षित स्वरूप को धक्का पहुंचाने वाले लोगों को एक चेतावनी मिलेगी। स्थानीय समाचार पत्रों में इस खबर को प्रमुख स्थान मिला।

ग्रामीण एवं नगर विकास परिषद,
पटना, बिहार।

# महिलाओं द्वारा एकजुटता से अधिकारों की मांग

झारखंड में विकास के लिए संघर्षरत जन उत्थान समिति एवं सहयोगी संस्थाएं पैक्स कार्यक्रम के अन्तर्गत 'अभिशासन में भागीदारी के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण' हेतु विभिन्न गतिविधियां चला रही हैं। ग्रामीण महिलाओं को जानकारी से युक्त और अधिकारों से सशक्त करके अभिशासन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने की कोशिशें कहीं कहीं सफल होती दिखाई दे रही हैं।

इस सशक्तिकरण परियोजना के तहत खूंटी और कर्रा ब्लॉक की महिलाओं में काफी बदलाव देखा जा सकता है। आज वे स्वयं अपने विकास के बारे में सोचने लगी हैं और अपने अधिकारों की मांग सरकार के सामने रखने में नहीं झिझकतीं। वे अपने आप ब्लॉक जाती हैं और सरकारी अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखती हैं। महिलाओं की जिज्ञासा और कुछ कर पाने की ललक देख कर अधिकांश सरकारी अधिकारीगण भी उनके प्रयासों में उनका सहयोग करते हैं। महिलाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी देने के साथ साथ वे उन्हें ब्लॉक में आने का निमंत्रण भी देते हैं। यह सब पहले कभी नहीं होता था।

खूंटी ब्लॉक के डुमरदगा गांव में 'विकास मैत्री' ने गांव की महिलाओं को अपना दल बनाने को प्रेरित किया। ये महिलाएं शुरू से ही काफी महत्वाकांक्षी थीं। गोष्ठियों और बचत कार्य में वे काफी उत्साह से हिस्सा लेने लगीं। अब वे अपने दल द्वारा बनाई गई नियमावली के अनुसार चलती हैं और अपने विकास के लिए आवश्यक मुद्दों पर चर्चा करती हैं। पहले की तरह गप्पें मार कर फिजूल समय बरबाद नहीं करतीं।

उनकी आकस्मिक ज़रूरतों की पूर्ति महिला दल की बचत निधि से होती है। खूंटी ब्लॉक के बी.डी.ओ. और वी.एल.डब्लू. से जानकारी लेकर महिलाओं ने ऋण की बात ब्लॉक में रखी। अब गांव में एक राशन दुकान खोलने की बात हो रही है जिसे महिला दल चलाएगा। ब्लॉक से उन्हें इसका आश्वासन मिल गया है, केवल राशि मिलनी बाकी है।

इसके अलावा महिला दल ने ब्लॉक से बादाम, मटर, मूली, आलू इत्यादि के बीज लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु खेती भी की है। महिलाओं ने अपनी बैठकों के लिए एक चबूतरे की मांग भी रखी है। इसे ब्लॉक में स्वीकार कर लिया गया है, अब उसका निर्माण होना बाकी है।

इस तरह ये महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर स्वयं उनकी मांग करने के लिए आगे आ रही हैं।

अशोक कुमार परेरा
जन उत्थान समिति
झारखण्ड

# महिलाओं ने बनाई गांव तक सड़क

मध्य प्रदेश में सीहोर के हसनाबाद पंचायत के कोनाझीर गांव में पहले गांव से मुख्य सड़क तक के रास्ते में कमर तक पानी व कीचड़ भरा रहता था। पर अब ग्रामीणों ने जनभागीदारी से रास्ते को न केवल सड़क में तब्दील कर दिया, बल्कि गड्ढे पर पुलिया भी बना डाली है। यह काम एक महिला समूह के नेतृत्व में हुआ और इसमें गांव की महिलाओं ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया।

सड़क बनाने के लिए पुरुषों ने कोई पहल नहीं की क्योंकि उनका काम किसी तरह चल जाता था। लेकिन गांव की महिलाओं को इससे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती थी। 'भरोसा' स्व–सहायता समूह की अध्यक्षा सुश्री कनिजा बी ने बताया, पहले महिलाओं को गांव से बाहर जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि रास्ते में एक गड्ढा पड़ता था, जहां कमर तक पानी व कीचड़ भरा रहता था। किसी महिला के बीमार पड़ने या प्रसव होने की स्थिति में उसे खटिया पर लादकर सड़क तक लाना पड़ता था। पर अब स्थिति बदल गई है।'

प्राथमिक शाला की शिक्षिका सुश्री धापू बनवारी कहती हैं कि, पहले इस रास्ते से महिलाएं गुजरती ही नहीं थीं। वे दूर से एक चक्कर लगाकर सड़क तक आती थीं। गांव में सड़क और पुलिया का निर्माण 'सहारा' स्व–सहायता समूह के नेतृत्व में किया गया।

एक ग्रामीण ने बताया कि महिलाओं की इस पहल को देखते हुए पुरुषों ने भी बढ़–चढ़कर भागीदारी निभाई। जोश इस कदर था कि 12 से 15 दिन की मेहनत से ही सब कुछ बनकर तैयार हो गया।

'सहारा' समूह की सचिव श्रीमति तारा बाई घटनाक्रम का पूरा विवरण देते हुए बताती हैं, ''लगभग साल भर पहले 'समर्थन' स्वयंसेवी संस्था से कुछ कार्यकर्ता आए थे। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठकर गांव की प्रमुख समस्या पर चर्चा की। तब यह तय हुआ कि किसी तरह सड़क बननी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसमें श्रमदान व जनभागीदारी करने पर ही संस्था सहयोग कर सकती है। इस पूरी योजना में पुरुषों का रवैया उदासीन दिख रहा था तो संस्था ने महिलाओं से इसका दायित्व निभाने को कहा। गांव में 'सेवा' संस्था द्वारा पहले से ही गठित समूह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर 10–10 लोगों का समूह बनाया गया और बारी–बारी से वे श्रमदान करने लगे। गांव के पास स्थित पहाड़ी से मिट्टी काटकर लाने और उससे सड़क बनाने का काम बहुत ही तेज गति से हुआ। रास्ते में पड़ने वाले गड्ढे में पाइप डालकर उस पर पुलिया बनाई गई और इस तरह से ग्रामीणों की एक बड़ी समस्या का समाधान हो पाया।''

'समर्थन' के जिला समन्वयक ने बताया कि इस कार्य में 42,300 रूपये खर्च हुए, जिसमें 23000 रूपये का श्रमदान ग्रामीणों ने किया। 13000 रूपये का सहयोग 'समर्थन' और 4,800 रूपये का सहयोग स्वशक्ति परियोजना से दिया गया। इसमें कुछ पैसा पंचायत को भी लगाना था पर वह अभी तक नहीं मिल पाया है। शफीक जी ने बताया कि गांव में अभी विकास के कई कार्य होने हैं, यहां तक कि सड़क का कुछ हिस्सा और भी बनाया जाना है। अब तक गांव के विकास में पंचायत की भूमिका बहुत ही नकारात्मक थी। गांव में ग्राम सभा की बैठकें तक नहीं होती थीं तथा लोगों को ग्राम सभा की समितियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर सड़क निर्माण जैसे सकारात्मक बदलाव को देखते हुए अब धीरे–धीरे जागरूकता आ रही है और लोग सचेत होते जा रहे हैं।

अमित खरे
समर्थन, भोपाल।

# बंधुआ मजदूरी की समस्या पर 'आरंभ' की पहल

बंधुआ मजदूर, शब्द सुनने से ऐसा लगता है जैसे यह किसी पुराने जमाने की बात हो , परन्तु वास्तविकता यह है कि अभी भी यह प्रथा चली आ रही है। अलग अलग स्थानों पर यह भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है – 'हाली', 'हरवाई', 'हाड़ी', इत्यादि। चाहे नाम कुछ भी हो, पर ये सारे शब्द एक ही सी असहायता एवं गरीबी को दर्शाते हैं।

'आरंभ' संस्था पिछले 22 वर्षों से भोपाल, इन्दौर एवं रायसेन जिलों में बाल अधिकार एवं सामुदायिक विकास से जुड़े मुद्‌दों पर कार्य कर रही है। भोपाल शहर से 25–30 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज ब्लॉक के 15 गांवों में 'आरम्भ' संस्था के चयनित क्षेत्रों में यह प्रथा अभी भी देखी जा सकती है। रायसेन जिले में पैक्स कार्यक्रम के पहले संस्था ने शिक्षा को लेकर इस क्षेत्र में कार्य किया था, परन्तु कार्य के दौरान यह अनुभव किया गया कि शिक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र में फैली गरीबी को दूर करना भी जरूरी है।

पैक्स के तहत 'आरम्भ' संस्था ने अपना कार्य अक्टूबर 2003 से प्रारंभ किया। कार्य प्रारंभ करने के पहले स्थानीय परिवेश की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन किया गया। सहभागिता ग्रामीण अध्ययन (पी. आर. ए.) से यह पाया गया कि इन 15 गांवों में कुल 118 हाली परिवार रहते हैं।

लोग हाली इसलिए बनते हैं क्योंकि आजीविका के क्षेत्र तक उनकी पहुँच में कमी है। इस अध्ययन के दौरान आजीविका पर भी जानकारी प्राप्त की गई। इन 15 गॉवों के कुल 845 परिवारों से 48 प्रतिशत परिवार कृषि एवं उससे जुड़े रोजगार में हैं तथा 41 प्रतिशत परिवार कृषि एवं गैर कृषि कार्य में हैं। हालांकि ज्यादातर परिवार कृषि से जुड़े कार्य कर रहे हैं, फिर भी 78.4 प्रतिशत परिवारों के पास जमीन नहीं है, वे भूमिहीन हैं।

इनमें से अधिकतर लोग हाली मजदूर एवं खुले मजदूरों के रूप में दूसरों के खेतों एवं घरों में कार्य करते हैं। अक्सर परिवार हाली मजदूरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें चाहे कम परन्तु निश्चित माहवार पैसे मिलते हैं। हाली मजदूर ज्यादातर भूमिहीन एवं सीमित किसान हैं जिनके पास अगर जमीन है तो भी वह बहुत कम है, असिंचित है या उसका कब्जा उनके पास नहीं है।

चरनोई भूमि का बॅटवारा भी सही से नहीं हो सका क्योंकि बहुत सारे लोगों को जमीन का कब्जा अभी तक नहीं मिल पाया है। गांवों में लोग अपनी जमीन को रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि जमीन पर निवेश बढ़ता ही जा रहा है। एक एकड़ जमीन पर कम से कम चार हजार रूपए खाद, पानी, निदाई, गुढाई, बिजली के रूप में लगता है। सरकार एवं वित्तीय संस्थाओं की शिथिलता, उदासीनता एवं उनकी जटिल प्रक्रियाएं समस्या को और बढ़ाती हैं। जिन लोगों ने जमीन के आधार पर बैंक से लोन लिया था वे उसे वापिस नहीं कर पाए हैं।

इन 15 गांवों में 118 हाली मजदूरों में से 36 परिवार अनुसूचित जनजाति, 34 अनुसूचित जाति, 30 अन्य पिछड़े वर्ग एवं 2 सामान्य परिवार के हैं। ये हाली परिवार भूमिहीन होने के कारण कहीं से भी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके कारण वे बड़े किसानों एवं साहूकारों पर निर्भर हो जाते हैं। इन बड़े किसानों से कुछ पैसा उधार लेने के बदले वे उनके बंधुआ मज़दूर बन जाते हैं। जीतोड़ काम करने के बदले उन्हें केवल 700 रुपये महीना मिलता है। गांव के लोग यह नहीं समझ पाते कि यह न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम आय है। गरीबी एवं दूसरे विकल्पों की कमी के कारण, वे इसी व्यवस्था से संतुष्ट हैं और इसे नौकरी कहते हैं।

इन हाली मजदूरों को दिन भर खेत के साथ–साथ अपने मालिक के घर के काम के अलावा पशुओं की भी देखभाल, पानी भरना, आदि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर देर रात तक वे काम करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे हाली मजदूर हैं, जो अपने मालिक के दिए गए घर में रहकर खेत या बाग में काम करते है। इस तरह की निर्भरता भी उनकी असहायता दिखाती है। इन हाली मजदूरों के परिवारों में से केवल घर का मुखिया ही काम करता है। गरीबी और रोजगार के पर्याप्त साधनों की कमी के कारण  महिलाओं को घर के काम के साथ खुली मजदूरी भी करनी पड़ती है।

महिलाओं को साल में कुछ ही दिन मजदूरी मिलती है। वे औसतन इससे साल भर में हजार से पन्द्रह सौ रूपये ही कमा पाती हैं। महिलाओं एवं बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच ही नहीं है। बच्चे स्कूल तो जाते हैं परन्तु घर में उचित माहौल नहीं मिलने के कारण वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं।

पंचायत की विभिन्न योजनाओं का फायदा गरीबों को नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन 6 महीने में मिलती है, अगर मिलती भी है तो केवल 2 महीने की ही दी जाती है लेकिन उनके हस्ताक्षर 6 महीने की पूर्ण राशि पर लिये जाते है। पंचायत की मीटिंग आयोजित ही नहीं की जाती। आरंभ संस्था द्वारा 26 जनवरी को ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाई गई जिसमें संस्था के 3 प्रतिनिधियों के अलावा सचिव और सरपंच ही मौजूद थे। इस बात से यह पता चलता है कि ग्रामवासियों का इस व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है। पंचायत की जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में पंचायत के लोगों को काम मिलना चाहिए, परन्तु वास्तविकता यह है कि इस गांव के लोगों की जगह दूसरे गांव के लोगों को काम मिलता है।

इन सारी स्थितियों को देखकर, आरंभ संस्था ने अपने पैक्स प्रोजेक्ट में हाली मजदूरों, भूमिहीन एवं सीमांत किसानों के साथ आजीविका एवं जमीन के मुददे पर काम करने का निर्णय लिया है। शुरूआत में इन 15 गांवों में संस्था का एक कार्यालय खोला गया ताकि सतत् रूप से इस समस्या पर काम किया जा सके। इस संवेदनशील विषय पर ठोस काम करने के लिए विशेष तैयारियों की जरूरत थी। विभिन्न व्यक्तियों जैसे पंचायत प्रतिनिधियों, स्कूल के अध्यापकों, बड़े किसानों से संपर्क किया गया ताकि उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जा सके। इन 6 महीनों में 15 गांव में लक्षित समूह की महिलाओं का समूह बनाया गया। शुरूआत में पुरूषों के साथ काम करना मुश्किल था क्योंकि वह दिन भर अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। महिलाओं के समूह को ज़रूरी जानकारी दी गई। उन्हें केवल पैसा इकटठा करने और बैंक से ऋण प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं रखा गया। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं को विभिन्न विषयों, जैसे समूह निर्माण, जमीन से जुड़े नियम कानून, इत्यादि के बारे में जागरुक बनाया जाए।

सुदीपा दास
आरम्भ संस्था

# महिला राजनैतिक सशक्तिकरण दिवस समारोह

भारत के पितृसत्तात्मक परिदृश्य में जहां राजनीति को आम तौर पर पुरुषों का कार्यक्षेत्र और महिलाओं का दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित समझा जाता है, वहां स्थानीय स्तर की सरकार में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलना अपने आप में एक निर्णायक बात थी। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1993, ने इसे मूर्त रूप दिया और 27 अप्रैल को यह अधिनियम भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया।

सन् 1985 से कार्य शोध, जागरूकता और पैरवी के द्वारा लोकतंत्र के आधार को मजबूत बनाने के लिए कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज (आई.एस.एस.) ने 24 अप्रेल 1994 से इस दिन को 'महिला राजनैतिक सशक्तिकरण दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया।

इस वर्ष दिल्ली में 23 से 25 अप्रैल के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से 842 पंचायतों और 3 नगरपालिकाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए करीब 1500 युवा और उत्साही निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें से 500 महिलाएं पैक्स कार्यक्रम के अंतर्गत छह राज्यों से पैक्स समर्थन द्वारा आई थीं। इनके अलावा स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों, विद्यार्थियों, अकादमिक जगत और संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

हर वर्ष इस समारोह के आयोजन द्वारा आई.एस.एस. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने तथा उन्हें परस्पर निकट लाकर उनकी एकता बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करता है। इस मंच का संदेश इन महिला भागीदारों के ज़रिए अन्य पंचायतों के सैकड़ों–हज़ारों प्रतिनिधियों तक पहुंचता है।

सम्मेलन का मुख्य विषय था ''महिला राजनैतिक सशक्तिकरण के दस वर्ष : आगे का सफर''। महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण का सबसे स्पष्ट प्रभाव प्रशासन पर पड़ा है। केन्द्रीय और राज्य स्तरों से लेकर अब स्थानीय स्तर के प्रशासन में भी इसे महसूस किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही भी चर्चा का एक मुख्य विषय था। राजनैतिक शक्ति के वास्तविक विकेन्द्रीकरण के अभाव में पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं को पहचानना भी

आवश्यक है। इस सम्मेलन के माध्यम से महिला राजनैतिक सशक्तिकरण के मुद्दे की प्रभावकारी पैरवी भी हुई।

चुनी हुई तीन सरपंचों को 'विशिष्ट महिला पंचायत नेता' का सम्मान दिया गया। लेकिन वहां पर उपस्थित हर पंचायत प्रतिनिधि के चेहरे से जो आत्म विश्वास और उपलब्धि का संतोष झलक रहा था वह सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण और हर किसी के लिए अपनेआप में एक विशिष्ट सम्मान था। इनमें से कुछ महिलाएं पहली बार अपने गांव से बाहर निकली थी। अधिकंश के लिए इतनी बड़ी सभा में बोलने और अपने विचार प्रस्तुत करने का यह पहला अनुभव था।

लेह (जम्मू कश्मीर) नागालैंड, झारखंड और मल्कानगिरी (उड़ीसा) के प्रतिनिधि दलों ने पहली बार इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह भी देखा गया कि विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष साक्षर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या अधिक थी। महिलाओं के साथ संरक्षक के रूप में आए पुरुषों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। पैक्स तथा डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स जैसे अन्य सहयोगी संगठनों की बढ़ती हिस्सेदारी भी एक प्रोत्साहक संकेत थी।

महिला राजनैतिक सशक्तिकरण दिवस के इस जीवंत समारोह ने न केवल महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण के पिछले दस वर्षों की उपलब्धियों का विश्लेषण किया बल्कि आगे के सफर की चुनौतियों को समझने की कोशिश भी की। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की व्यापक और सार्थक भागीदारी ने इस पूरी प्रक्रिया को एक विशिष्ट आयाम प्रदान किया।

fdj.k 'kekZ]
izfrekeSF;wl

# संरक्षण का अधिकार – जननी क्यों दरकिनार?

राजनैतिक क्षेत्रा में बढ़ती हिस्सेदारी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के रास्ते पर खड़ा तो कर दिया है, लेकिन घर की चारदीवारी में अभी तक उन्हें अपने अधिकार पूरी तरह हासिल नहीं हो पाए हैं। अन्य अधिकारों की बात तो बाद में आती है, यहां तो स्वयं उनकी कोख से जन्मे बच्चों पर ही उनके संरक्षण के अधिकार पर सवाल लगा हुआ है। सामाजिक और राजनैतिक दायरों में नई पहचान बनाती महिलाएं अपने ही बच्चों के वैधानिक संरक्षक के रूप में अपनी पहचान की तलाश में हैं।

भारत में विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए उनके विशिष्ट परंपरागत नियम और कानून हैं। लेकिन संरक्षण के मामले में इन सभी का महिलाओं के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण झुकाव है।

हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षण अधिनियम (1956) के सेक्शन 6 के अनुसार पिता अपने अवयस्क बेटे और अवयस्क अविवाहित बेटी का 'प्राकृतिक संरक्षक' होता है। बच्चे के 'व्यक्ति और सम्पत्ति' के संरक्षण का अधिकार एकान्तिक रूप से पिता का होता है। पिता की मृत्यु, वनप्रस्थ होने, सन्यासी बनने अथवा न्यायालय द्वारा उसे संरक्षण हेतु 'अनुपयुक्त' घोषित किए जाने की स्थिति में ही मां को बच्चे के संरक्षण का अधिकार मिल सकता है। विडम्बना यह है कि इसी अधिनियम के तहत महिला को अपने अवयस्क बच्चे के प्राकृतिक संरक्षक होने का अधिकार दिया गया है यदि मां अविवाहित है, अर्थात यदि बच्चा अवैध है।

यह महिला के साथ उसकी वैवाहिक स्थिति और लिंग के आधार पर किया गया स्पष्ट भेदभाव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के साथ भी यह खुला विरोधाभास व्यक्त करता है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत् आम नियम यह है कि तलाक़शुदा महिला को अपने बच्चों को संरक्षण तब तक दिया जाता है जब तक लड़के सात साल के नहीं हो जाते और लड़कियां वयःसन्धि नहीं प्राप्त कर लेतीं। अन्य समुदायों पर लागू होने वाले संरक्षता और पतिपाल्य अधिनियम (1890) में भी पिता को ही बच्चे के प्राकृतिक संरक्षक होने का अधिकार दिया गया है।

वंशीय संतान के अलावा गोद लिए गए बच्चों के संरक्षण के मामले में भी महिला को बराबरी का दर्जा नहीं प्राप्त है। गोद लेने की प्रक्रिया में हिंदुओं के लिए 'हिंदू दत्तक और अनुपालन अधिनियम (1956)', अन्य समुदायों के लिए 'संरक्षता और प्रतिपाल्य अधिनियम (1890)' और परित्यक्त बच्चों के लिए 'बाल न्याय अधिनियम (1986)' लागू होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनमें से किसी में भी बच्चों के अधिकारों और लैंगिक न्याय के पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है।

सैद्धान्तिक तौर पर तो हमारी कानूनी व्यवस्था महिलाओं को सुरक्षा देने और अधिकार युक्त बनाने की बात करती है, लेकिन कठोर वास्तविकता कुछ और ही है। बच्चों के संरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर इस तरह के पक्षपाती और परस्पर–विरोधी कानून महिलाओं को फिर से घरेलू हिंसा के दायरे में कैद कर देते हैं (देखें 'घरेलू हिंसा से बचाव'– विकास विकल्प पत्रिका, अंग 5, क्र.1)।

यदि वैवाहिक संबंध में महिला पर अत्याचार हो रहा हो या फिर वह घरेलू हिंसा की शिकार हो तो भी वह बच्चों का संरक्षण खोने के डर से उस शोषक स्थिति को चुपचाप सहती जाती है। अगर वह हिम्मत करके किसी तरह उसे चुनौती देती है तो उसे अपने बच्चों का संरक्षण पाने के लिए कचहरी के धक्के खाने पड़ते हैं। कई बार तो पति की मृत्यु के बाद भी उसे अपने ही बच्चों के संरक्षण और उनकी अभिरक्षा का अधिकार पाने के लिए ससुराल वालों से संघर्ष करना पड़ता है।

लेकिन 1999 में गीता हरिहरन के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह स्वीकार किया कि पिता के साथ–साथ मां भी बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक है। 1955 में गीता हरिहरन ने अपने अल्पवयस्क बेटे के नाम पर रिजर्व बैंक से कुछ निवेश पत्र खरीदे जिन पर रिजर्व बैंक ने मां के दस्तखत स्वीकार करने से मना कर दिया। गीता हरिहरन ने भारतीय रिजर्व बैंक के इस निर्णय को चुनौती दी।

इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से ना केवल संरक्षण संबंधित अधिनियम की एक नई व्याख्या दी बल्कि पितृसत्ता के प्रति उसके झुकाव का भी अंत किया। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने एक फैसले में मां को बच्चे के पूर्ण अथवा सह संरक्षक का दर्जा प्रदान किया, चाहें पिता जीवित हों अथवा नहीं।

इन चंद प्रोत्साहक फैसलों से कुछ उम्मीद तो बंधती है, लेकिन संरक्षण संबंधी कानूनों को लैंगिक पक्षपात से मुक्त करने और उनमें बच्चों के हितों और अधिकारों के पहलू को जोड़ने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

❍

**fdj.k 'kekZ]**
**izfrekeSF;wl**

# सी.डी.एम. अनुकूलन कार्यशाला : एक रपट

जलवायु में होने वाले बदलाव, पर्यावरण और विकास के वैश्विक चिंतनीय मुद्दे के रूप में उभरे हैं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म (सी.डी.एम.) ने ऐसे जलवायु बदलावों को कम करने के उपाय के रूप में उद्योगों को कम प्रदूषण वाली प्रौद्योगिकी अपनाकर अपना लाभ बढ़ाने की प्रेरणा दी है। देश को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ह्स के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म (सी.डी.एम) ने नई दिल्ली स्थित हैबिटॉट सेंटर में जापान के इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल एनवायर्नमेन्टल स्ट्रेटिजीज (आई.जी.ई.एस.) के सहयोग से 25–26 मार्च, 2004 को ''क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म (सी.डी.एम) अवसरों पर एक अनुकूलन (ओरियंटेशन) कार्यशाला'' का आयोजन किया।

इस कार्यशाला में लघु उद्योगों जैसे ईंट–भट्टों, चावल मिलों, होटलों और नवीकरण ऊर्जा की लघु परियोजनाओं के लिए सी.डी.एम. अवसरों से होने वाली आय के अवसरों को रेखांकित किया गया। कार्यशाला में सी.डी.एम. से संबंधित व्यापारिक क्षेत्रों, वित्तीय संस्थानों एवं गैर सरकारी संगठनों के क्षमता निर्माण को भी लक्ष्य बनाया गया। यह कार्यशाला भारत को दीर्घकाल तक सी.डी.एम. से लाभान्वित करने की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि यह कार्बन का परिहार करने अथवा उसके उपयोग में कमी करके विकास करने वाले क्षेत्रों को लक्षित करती है। यह कार्यशाला टिकाऊ विकास के चार स्तंभों – आर्थिक, प्रौद्योगिकीय, पर्यावरणीय एवं सामाजिक भलाई – को संबोधित करती है।

आई.जी.ई.एस. और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ह्स के तत्वावधान में हुई यह कार्यशाला भारत के विभिन्न पणधारियों में अपने–अपने क्षेत्रों में सी.डी.एम. परियोजना गतिविधियों को शुरु करने और लघु उद्योगों में विभिन्न सी.डी.एम.परियोजनाओं के प्रारूप निर्माण, विकास और क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाने के लिए तीन वर्षीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाएगी। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव डॉ. प्रोदीप्त घोष, राष्ट्रपति के सह सचिव, गैर–पारंपरिक ऊर्जा संसाधन मंत्राालय के श्री ए.के. मंगोत्रा और विनरॉक इंटरनेशनल इंडिया के अध्यक्ष किनसुक मित्रा? ने अपनी उपस्थिति से सुशोभित किया। इन सभी व्यक्तियों ने भारत में सी.डी.एम. को विकसित करने में भारत सरकार की भूमिका और प्रयासों की चर्चा की।

इस कार्यशाला को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्लाइमेट चेंज सेल, के डायरेक्टर श्री आर.के. सेठी; योजना विभाग के श्री श्रीकांत के. पाणिग्रही; इनस्वार्ब के डायरेक्टर, डॉ. एन. कालिदास; श्री एस.सी. नाटू, सीनियर वाइस प्रसीडेंड, मिटकोन; डॉ. अजय माथुर, प्रेसीडेंट, सिनर्जी ग्लोबल; श्री आर.के. व्यास, सह सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय; सुश्री गायत्री रामचंद्रन, डायरेक्टर–जनरल, ई.पी.टी.आर.आई. एण्ड सी.डी.एम;, सुश्री

के. सरस्वती, डायरेक्टर टांसटिया–फ्नफ सर्विस सेंटर; और योजना आयोग के परामर्शदाता डॉ. आर मंडल जैसे गणमान्य अतिथियों ने संबोधित किया। विश्व तापमान में वृद्धि और जलवायु बदलाव के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों (जी.एच.जी.) के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए अंतराष्ट्रीय प्रयासों में सी.डी.एम. का भी योगदान है। यदि हमें कियोटो विज्ञप्ति को अमल में लाना है तो विकसित देशों को, जो बड़े दोषी हैं, घरेलू उपायों अथवा विकासशील देशों में निवेश द्वारा गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 5 प्रतिशत कम स्तर पर लाना होगा। सी.डी.एम. को इस विज्ञप्ति के अनुच्छेद 12 के आधार पर निरुपित किया गया है जिससे वह विकासशील देशों को टिकाऊ विकास प्राप्त करने, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को अहानिकारक स्तर पर बनाये रखने और जलवायु प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देने, और विकसित देशों को गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के वायदों को पूरा करने में सहायता दे सके।

# होली के रंग 'क्लीन' इंडिया के संग !

इस बार होली के लिए खास तैयारियों को अंजाम देते हुए काया स्किन क्लीनिक ने क्लीन–इंडिया कार्यक्रम (सामुदायिक स्तर पर पर्यावरण कार्य नेटवर्क) के साथ मिलकर पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठाया।

इस प्रयास के तहत काया स्किन क्लीनिक ने 1 से 7 मार्च 2004 तक अपने यहां आने वाले ग्राहकों को प्राकृतिक रंग पेश किये। प्राकृतिक उत्पादों जैसे मेंहदी, चंदन पाउडर और गेंदे के फूलों से तैयार ये रंग चमकीले डिजायनों वाले पाउच में उपलब्ध किये गए जो रंगों के इस त्योहार के पूरे मूड को अभिव्यक्त करते थे।

इन प्राकृतिक रंगों की छटा भी पारंपरिक रंगों जैसी थी। लेकिन इनका प्रयोग काफी सुरक्षित होता है। काया स्किन क्लीनिक ने रक्त चंदन और गुलाब से तैयार लाल गुलाल, मेंहदी और तुलसी से तैयार हरा गुलाल, तथा हल्दी एवं गेंदे से बना पीला गुलाल, इस होली के लिए उपलब्ध कराए।

इस खास प्रयास के बारे में जानकारी देते हुए सुश्री रीना छाबड़ा, विपणन अध्यक्ष, काया स्किन क्लीनिक ने बताया कि काया में हम लोगों की त्वचा की देखभाल करते हैं। होली के पारंपरिक रंगों में इस्तेमाल होने वाले रसायन त्वचा के लिए नुकसानदायक होते हैं। और यही कारण है कि लोग त्वचा खराब होने की आशंका से घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। क्लीन इंडिया गठबंधन लोगों को पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक रंगों के साथ होली खेलने को प्रोत्साहित करता है जो त्वचा के लिए 100 प्रतिशत सुरक्षित होते हैं।

होली के मौके पर बाज़ार में उपलब्ध ज़्यादातर रंग ख़तरनाक़ रसायन और डाई मिले होते हैं, जो त्वचा और बालों पर कहर ढाते हैं । यही कारण है कि काया स्किन क्लीनिक ने प्राकृतिक रंगों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ रंगों के इस त्यौहार पर अपनी त्वचा के बचाव के लिए सावधानी बरतने के बारे में लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया ।काया स्किन क्लीनिक के सलाहकारों ने सच्चे मायनों में रंग बिरंगी और सुरक्षित होली खेलने के उपायों पर अमल करने की सलाह दी ।

(वीर अर्जुन, नई दिल्ली)

## 'बच्चे ही सुधार सकते हैं पर्यावरण'— शीला दीक्षित

e[;e=kh शीला दीक्षित ने डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्हस संस्था द्वारा आयोजित सातवीं 'क्लीन इंडिया मीट' के उद्‌घाटन के दौरान कहा कि बच्चे ही देश के पर्यावरण को सुधार सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी तक पर्यावरण के बचाव के विभिन्न विकल्पों को केवल बच्चे ही सही तरह से ले जा सकते हैं क्योंकि उनका माध्यम न केवल व्यापक है बल्कि यह सशक्त भी है। यह 'मीट' चिन्मय मिशन के सभागार में आयोजित किया गया था,जहां पर्यावरण संरक्षण पर देशभर से आए करीब चार सौ बच्चों द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी।

मुख्यमंत्री ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को अपने स्वास्थ्य व पर्यावरण की रक्षा के लिए स्कूलों व अपने निकट के बाज़ारों तक साइकिल पर जाना चाहिए। इसी तरह अन्य लोगों को भी साइकिल की सवारी को बढ़ावा देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वह नदियों व नहरों में कोई सामग्री न फेंके। खासकर प्लास्टिक के सामानों का प्रयोग करने से बचें और प्लाटिक के समान को तो प्रवाहित जल में कभी न फेंके। क्योंकि इससे न केवल पानी दूषित होता है बल्कि जमीन और पेड़ पौधों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है।

(नई दिल्ली, ज.स.)

### साइकिल : एक पर्यावरण–मित्र वाहन

साइकिल दो पहिए की सवारी है। यह बहंत से रंगों में होती है। बच्चों में इसे चलाने की बहुत रुचि होती है। मेरी मां डाक्टर है, वह कहती है कि साइकिल चलाने से सेहत अच्छी होती है। साइकिल कोई भी चला सकता है। साइकिल धुआं नहीं छोड़ती। जब लाल बत्ती होती है तब साइकिल तो धुआं नहीं छोड़ती, लेकिन कार, ट्रक व अनेक गाड़ियां धुआं छोड़ती रहती हैं, जिससे साइकिल चलाने वालों को दिक्कत होती है।

मुझे भी साइकिल चलाने और देखने में रुचि है। पर, मेरी मौसी मना कर देती है। क्योंकि गाड़ियां टक्कर मार सकती हैं। इसलिए मैं कभी–कभी सोचता हूं कि साइकिल चलाने के लिए अलग से रोड होनी चाहिए। जिससे मेरे जैसे बच्चे और बूढ़े भी साइकिल चला पाएं। मैं रोज देखता हूं कि कि अखबार वाले भईया, दूध वाले भईया एवं डाक देने वाले भईया भी साइकिल पर ही आते हैं। इसके अलावा बहुत लोग साइकिल की सवारी करते हैं। मुझे यह तो पता है कि कार की रेस होती है, पर यह नहीं पता कि साइकिल की रेस भी होती है। जब मैं स्कूल जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट के पास देखा कि साइकिल के लिए अलग से रास्ता है।

ऐसे ही रास्ते सारे शहरों में होने चाहिए जिससे साइकिल वाले बिना परेशानी के साइकिल चला पाएं।''

–अमन अभिषेक,
द्वितीय कक्षा,
सरदार पटेल विद्यालय,
नई दिल्ली – 110003

# कसम धरती माता की

किताबिया के बारे में: इस आलेख में संसाधनों पर समाज का नैसर्गिक अधिकार की बुनियादी मान्यताओं के नये भारत के निर्माण बावत एक विश्व दृष्टि 3 नवम्बर को दिल्ली में आयोजित जन विज्ञान सम्मेलन के उद्‌घाटन भाषण में प्रस्तुत की गई थी। उसी तर्क को 'कसम धरती माता की: शुरु है लड़ाई अब आर या पार की पुस्तिका में आगे बढ़ाते हुए आज़ादी के बाद से आज तक के घटना क्रम को आम आदमी, खास तौर से खेती–किसानी वालों के नजरिये से पेश किया गया है। इस पुस्तिका के कुछ अंश 'राष्ट्रीय कृषि नीति, कितनी राष्ट्रीय?' में व्यापक प्रसार के लिए प्रकाशित किया है। उसका पहला हिस्सा हम यहां दो किस्तों में अपने पाठकों के लिए छाप रहे हैं।

'कसम धरती माता की' की प्रस्तुति में कई सामान्य सी लगने वाली बातें धोखा और साजिश साबित हुई हैं। विकास का पश्चिमी सोच ही बुनियादी तौर से जन–विरोधी है। आज की हालत उसकी अनिवार्य परिणति है। गैर बराबरी को विकास के लिये उसूलन अनिवार्य मान लेना, विकास के लिए पूंजी जुटाने के लिए किसानों से उनके बिना जाने भारी वसूली, कर्ज की चक्रवृद्धि ब्याज वाली अनैतिक और कानून से असंगत व्यवस्था और उसके साथ–साथ उदारीकरण, जगतीकरण, हरित क्रांति के जन–विरोधी पहलुओं, वगैरह का भी विस्तार में विवेचन है। कुछ बुनियादी मान्यताओं जैसे नैसर्गिक संसाधनों पर राज्य की प्रभुसत्ता, धरती के बाजार की वस्तु रूप होना, किसानी के लिये अकुशल काम का दर्जा, इंसान की मेहनत की हकदारी में भारी भेद, इत्यादि पर सवालिया निशान लगे हैं। उनकी जगह 'स्वयंभू समाज,' संसाधनों पर समाज का नैसर्गिक अधिकार,' 'मेहनत के लिये समान हकदारी' जैसी जनोन्मुखी और स्वाभाविक मान्यताओं से जुड़े आदिवासी इलाकों में नया जन उभार प्रेरणादायक है। अन्यायी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष की एक रूप रेखा भी दी गई है जिसमें गैर बराबरी और उपभोगवाद पर सीधा प्रहार सबसे ऊपर है। देश की स्थिति से चिन्तित और उसे बदलने के लिये संकल्पित लोगों के सोचने समझने के लिये इसमें बहुत कुछ है। खेती–किसानी वालों के लिये इसे यह समझने के लिए पढ़ना अनिवार्य है कि आखिर हो क्या रहा है।

लेखक: डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा (जन्म मुरादाबाद, 1931) जाने

माने आई.ए.एस. (1956) अधिकारी थे परन्तु एक अंतर के साथ। वे सरकार में रहकर भी लोगों के पक्ष का समर्थन करते रहे। वैसे उनकी डाक्टरेट गणित में है। वे जिला के कलेक्टर/डी.सी. से लेकर सचिव पदों पर रहे। अन्यायी व्यवस्था से समझौता न कर पाने से त्याग पत्र दे दिया। वे उत्तर–पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय के कुलपति और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संविधानिक पद पर भी रहे।

भारतीय अर्थव्यवस्था का अनूठा विश्लेषण 'दि वेब ऑफ पावर्टी' (गरीबी का मकड़जाल) में प्रस्तुत किया। पूंजीवादी और साम्राज्यवादी ताकतें एक गहरी साजिश के तहत समाज को तोड़कर इंसान को अकेला करने में लगी हैं। देश के संसाधनों की लूट और आम लोगों के लिये गुलामी से बदतर जिन्दगी सामने है। इसी अंतर्विरोध को केंद्रीय मानते हुए भारत के जन आंदोलन का संयोजन हुआ। वे उसके अध्यक्ष हैं। वे समान सोच वाले लोगों के साथ आदिवासी इलाकों के अलावा किसानी की प्रतिष्ठा के संघर्ष को आगे बढ़ाने में लगे हैं। इसी आन्दोलन के वैचारिक पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए गांव की गरीबी, किसान की टूटन, किसानी घोषणा पत्र, कसम धरती माता की आदि अनेक पुस्तकें और पुस्तिकाएं लिखी हैं जो आम लोगों को संबोधित हैं।

(लेखकीय संपर्क सहयोग पुस्तक कुटीर, नई दिल्ली)

# आपकी राय

प्रिय पाठकों,

विश्व सामाजिक मंच पर आधारित विशेषांक के बाद हमारा यह अंक पंचायती राज संस्थाओं और उनमें महिलाओं की भूमिका पर विशेष ध्यान केन्द्रित करता है। मार्च महीने में हुई 'पीयर रिव्यू' कार्यशालाओं में लगभग सभी राज्यों में पैरवी के लिए जो मुख्य मुद्दे उभर कर आए उनमें स्थानीय स्वशासन की बेहतरी, महिलाओं की उन्नत भागीदारी तथा उनका सशक्तिकरण आम विषय थे।
इस अंक में हमने अपने कार्यक्षेत्र के लगभग सभी राज्यों से मिली जानकारी को मुख्य स्थान दिया है। इनसे ही हमारे कार्य का वास्तविक चित्रण होता है। जानकारी और प्रशिक्षण से सचेत होते लोग, भ्रष्टाचार और अन्याय को चुनौती देते गांव वाले, स्वयं अपनी पहलकदमी से गांव में बदलाव लाती और अपने अधिकारों की मांग करती महिलाएं – ये ही हमारा प्रगति पत्र है।
अपने पाठकों के जवाब पाकर हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आगे भी हमें आपके सुझावों और जवाबों का इंतज़ार रहेगा। इस पोस्टकार्ड पर अपनी राय देने के साथ साथ हमें पैक्स कार्यक्रम क्षेत्र में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी, सुंसंगत विषयों पर अपने लेख, विचार, कविताएं, तस्वीरें इत्यादि भी ज़रूर भेजें।

भवदीया
किरण शर्मा
पैक्स कार्यक्रम समन्वयक

vkidk ;g vad dlk yxk\

Û mi;kxh Û jkpd Û lk/kkj.k Û mckÅ Û vkj dkb fVIi.kh

❖ bl vad dh dku lh fof'k"V tkudkjh] y[k vFkok dgkuh vkidk loki;Dr yxh\

❖ vkid fopkj l bl vad e dku lh tkudkjh] y[k vFkok dgkuh vuko';d Fkh\

❖ vkxkeh vdk e vki fdu fof'k"V {k=kk vFkok fo"k;k d ckj e tkudkjh ikuk pkgx\

❖ vad d çLrfrdj.k d ckj e vkidh D;k jk; g\ D;k vki ble dN cnyko n[kuk pkgr g\

पाठकों की कलम से...

'.... 'विकास विकल्प' पत्रिका की प्रति मिली – अनुगृहीत हूँ। मैंने पूरे धीरज, श्रद्धा व मन लगा कर पूरी प्रति अद्योपांत पढ़ ली। इससे मेरे विचारों को अपूर्व बल और ऊर्जा मिली....

गिरधर माथुर संट जोसेफ स्कूल, भागलपुर, बिहार

'...विकास विकल्प पत्रिका मुझे समय की आवाज लगी। हर लेख उपयोगी लगा। कृपया हमें इसका हर अंक भेजते रहें....'

*सुधीर सबत संचालक, आई.एस.आर.डी., बरहामपुर, उड़ीसा*

आपको यह अंक कैसा लगा?

• *उपयोगी* • रोचक • साधारण • उबाऊ • और कोई टिप्पणी

इस अंक की कौन सी विशिष्ट जानकारी, लेख अथवा कहानी आपको सर्वोपयुक्त लगी?

*विकास के विकल्प – 'समाज विकास की प्रतिबद्धता'*

आपके विचार से इस अंक में कौन सी जानकारी, लेख अथवा कहानी अनावश्यक थी?

*मुसहरों के नज़रिए से विश्व सामाजिक मंच'*

आगामी अंकों में आप किन विशिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों के बारे में जानकारी पाना चाहेंगे?

*कंप्यूटर का संस्था में उपयोग एवं लाभ*

अंक के प्रस्तुतिकरण के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इसमें कुछ बदलाव देखना चाहते हैं?

*अंक का समय से प्रस्तुतिकरण*

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:
पैक्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डेवलेपमेंट ऑल्टरनेटिव्स
बी–32, तारा क्रिसेन्ट, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110016
ईमेल : **pacsindia@sdalt.ernet.in** वेबसाइट : **www.empowerpoor.org**

*प्रबंधनात्मक परामर्शदाता*
डेवलेपमेंट ऑल्टरनेटिव्स – प्राइसवॉटरहाउसकूपर्स प्रा0लि0

*समर्थक*
डी0एफ0आई0डी0

डाक टिकट लगाएं

प्रति,

पैक्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर,
डेवलेपमेंट ऑल्टरनेटिव्स
बी 32, तारा क्रिसेन्ट,
कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली–110016

भेजने वाले का नाम:

पता:

RNI No. 68856/98